राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ4 (ई) द्वितीय एसीपी/90/अलेसे–III/ 8770-8783 दिनांक:– 4-11-2011

आदेश संख्या 174/11-12

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-08 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट–I/2008 दिनांक 06-10-2008 एवं राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 11 (7) एफ.डी./रूल्स/2008–I दिनांक 31-12-2009 के बिन्दु संख्या 7 (iii) के अनुसरण में समान वेतनमान में की गई सेवा को जोडकर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 4 में उल्लेखित दिनांक से 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) वेतन श्रृंखला पी.बी.–2 (9300–34800) ग्रेड पे 4200/– में स्वीकृत की जाती है:–

क्रं. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	मैरिट न0/बैच	तह0 राजस्व लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1-	कुँज बिहारी शर्मा	429/90	13-08-1993	03-01-1994	13-08-2011	
2-	श्यामाकान्त महर्षि	460/90	06-08-1993	03-01-1994	06-08-2011	
3-	राजेन्द्र सिंह	472/90	05-08-1993	03-01-1994	05-08-2011	
4-	मोलाराम चौधरी	490/90	10-08-1993	03-01-1994	10-08-2011	
5-	जगदीश लाल जाट	491/90	07-08-1993	03-01-1994	07-08-2011	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारो को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 14 (88) वित्त/नियम/2008 दिनांक 31-12-2009 में दी हुई शर्तो के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 1, 3 एवं 4 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के मेमोरण्डम दिनांक 07-06-2011 के अनुसरण में उतने ही पिछले वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-08 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यकरूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।

निदेशक

कमांक एफ4(इ) द्वितीय एसीपी/90/अलेसे–III/ 8770-8783 दिनांक:– 4-11-201

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1- विभागाध्यक्ष/कार्यालध्यक्ष ....
2- श्री ....कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय ....
3- निजी सहायक निदेशक, महोदय।
4- गोपनीय शाखा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5- निजी/गार्ड फाईल/कम्प्यूटर (वेबसाईट हेतु)

03/11/2011

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II)